UTTARAK	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।					
Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com						
पत्रांक— सेवा में,	1457 / 1सी0 (वन) दिनांक 8 / 9 / 2016					
	प्रभागीय वनाधिकारी केदानाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर।					
विषयः—	ायः- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12837/2015 कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी राज्य मार्ग सं० 34 से मालई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.450 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।					
सन्दर्भः – महोदय,	Essential Details Sought दिनांक 05.09.2016					

-

उपरोक्त विषय के कम में अवगत कराना है कि कर्णप्रयाग –नौटी–पैठाणी राज्य मार्ग संo 34 से मालई. मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नप्रकार है।

क0स0ं	, प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No2 of EDS, it is mentioned that the information/document is uploaded in Part-I by User Agency. But, the Scanned copy of the map prepared by Using GPS i.e. the geo-referenced digital map showing geocoordinates at regular interval of 200 m to 300 m including all turning points (curves) along the alignment of	संशोधित डिजिटल मैप पुनः अपलोड कर दिया गया है। संलग्न– डिजिटल मैप (पेज नं० –2)
	the road to be prepared through GIS software has not been found attached at para-B-2.4 instead, the previously attached geo-referenced digital map only is found attached which does not serve the purpose.	
2	In reply to point No3 of EDS, it is mentioned that the documents are uploaded in Part-I by the User Agency. But, the previously attached documents only are found attached in online para-k without mentioning date. State Govt. may submit FRA certificate and proceedings of the Sub Divisional Level Committee meeting after recording date in the documents.	संशोधित FRA पुनः अपलोड कर दिया गया है। संलग्न– एफ0आर0ए0 (पेज नं0 –3)
3	In reply to point No4 of EDS, density is corrected to 0.3, hence, revised NPV calculation is required to be submitted.	वन का घनत्व उपवन संरक्षक केदारनाथ द्वारा 0.5 हे0 लिया गया है व इसके आधार पर एन0पी0वी0 की गणना की गयी है।
		संलग्न– एन०पी०वी० की गणना का प्रमाण पत्र (पेज नं० –3)
4	Regarding data given in the district profile in para-14 of online Part-II, the reply of the State Govt. is not satisfactory. The CA stipulated (434.32 ha) is not commensurate to the forest land diverted (1031.955 ha). Logically, CA stipulated should be double the area of forest land diverted. Therefore, State Govt. may clarify the mismatch. Further, it is mentioned in the reply by the State Govt. that it is not possible to complete the CA targets because of delay and resultant increase in the daily wage rates. State Govt. may undertake critical review of such situations and submit comments to this office.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
	cash ordered and outsine comments to this office.	भवदीय

अधिशासी अभियन्ती अस्थाई खण्ड,लो०नि०वि० भगौचर खमोली



FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No----

Dated--20,05,2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.450 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of new motor road "Karanprayag-Nauti-Paithani S.H. No.^{*} 34 to Malai" in Chamoli district falls within jurisdiction, Malai village (s) in Aadibadri/Gairsain tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.450 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Malai' sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature (Full name and official seal of the District Collector) जिलाधिकारी ष्यमोली

ANNEXURE.... OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE DISTRICT Chamoli (U.K.)

5

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 20.15.2015 at time. The Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 1.167 hect for the construction of "Karanprayag-Nauti- Paithani S.H. No. 34 to Malai" and forest land 0.450 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Aadibadri/Gairsain sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar Dated:..20.05.2015

L

District Magistrate-cum-Chairman District Level Committee जिलाधिकारी षमोली परियोजना का नाम - का प्रमाग - मोटी - पेठाकी राज्य मार्ज 34 से आज- मालई तह मोटा भागमव निर्मात हेतु 0. 420 हे. सिविल भूमे रुवं मक डिल्पो जल हेड 0.030हे सिविल = यमि, काल 0.4502. सिविला भ्राप्ते का लो.नि.वि. को हस्तानान्तरू।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, आदिवादी निर्देश, अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम /2006 के तहत

> उपखण्ड स्तरीय समिति, आदिबद्धा नर्षिं। प्रमाण-पत्र

परिक्षेत्र के अन्तर्गत काप्रमाग-नीटा-पेढाठी राज्य मार्ज 34 से ग्राम मालर्ट्स आदिवदी मनि ---प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील आदिबद्धी) की दिनांक 16/5/015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तूरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

लाधकारी -उपजिलाधिकारी -श्री 1-- पिठलगरन रेल्वर प्रभागीय वनाधिकारी केन्द्र 1 किनार प्रयायक 2-श्री व गरतन (जनोन 3-सरेन्द्रवाल ए 215 4----

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठ्ठा के स्वाधन करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों की अवगत कराया गया कि मा. म. ही. राज्य मोजना के अन्ते आत काप्रमात - नोरी - पेठागी राज्य मार्ड 34 में आम मालई के निर्भाहा हेतु 0.420 हे सिविल आर्ग स्व यक दिस्तोजन हैतु 0.030 हे सिर्विल भूत्रि कुल 0.450 है सिविल वन भूत्रि का लो नि बि की

Ecaleliado प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्रान सभा द्वारा सर्वसम्नति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंता की गई है।

गजस्व उप निश्चिम्न २१ विद् TReffer Singless जिला-चमोली

27

อินเพเย ลิศิม เปิล 4715

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, —_____हारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

उपखण्ड स्तराय वन आधकार सामात हारा अनापाता जारा हुग जम तपरणा हा तैटुक में सर्वसम्मति से उपखण्ड आदिकद्रा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जाप्रमाग - नोय - यसका राज्य अपने मालह त्य नोप्रमापरियोजना के निर्माण हेतु 0...4.50,2 , वन भूमि (नो जि.व.) में जिन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

ज्रेप जिलाभिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- आदिवदा (रार्ट्रा) जनपद

28

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी,

..... को सूचनार्थ एवं आवर्यक कार्यवाही हेतु।

प्रपन्न-23.1

ग्राम्र मालर् तेक मोग्मार्ज परियोजना का नाम - 30 प्रयाग - नीरी - पैठाठी राज्य मार्ग 34 स्रेतनव निर्माठा हेन 0.4202. सिविल भूमि रूवं सक डिस्पोजल हेतु 0.030हे कुल 0.450 हे. रहिविल भूमि का लो. ति. वि.को हरतानान्तर्ण । वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र-

ग्राम पंचायत का नाम माटनर तहसील जनाद्वित जिला जाती

छत्तराखण्ड में जनपद व्योली के अन्तर्गत कर्रायाग - नोध- पैठाठी राज्य मर कि से काल सालह ----विभाग / संख्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं दन मंतालय जो चा द्वारा प्रत्योवर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में गाम पंचायत प्रालई दारा दिनांक 2/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वर्न भूमि के संबंध में अनापतित प्रमाण पत्र निर्मत करने हेतु विरतृत चर्वा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अंथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्मान हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का इनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वाराण्सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नाता के ग्रामवासियों को उक्त यन भूमि - 0:450 & प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिरो जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम भाषित ची०सी०मेखरी ग्राम विकास अधिकारी क्षेत्र सालाई विकास लण्ड. रेरिटेज

ग्राम प्रध To 37/2/

नोट :- जिलादि किसी अमेरिवेसी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रमावित हो रही है, तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपन्न में दिया जाय। उक्त प्रवन्न उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गटित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

ग्राम पंचायत मालेव

				Σ
कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्र	ामवासियों के नाम	हस्ताक्षर	
	विणमीत सिंह		baic	
	ा जगदाया विष्ट	2	61812121	
3-	n 21072 TAE		Joy .	
(A) -	1) G127101 142		Artin	
D-	" yong lae.		Y GISI hirs	
6-	" a utain the		lade,	
(D) -	" रुषुवीर विष्ट	R	.S. Bhaight	
8 -	" 4 9 4 4 142		10 600	
Ð -	n रिके जिस् लिष्ठ		10 courts 2	
(10) -	11 364 IDE		- 3CHIHS	
<u>(1)</u> -	11 HIEOT IDE	· · · ·	Hedd .	3
(2)-	11 - Sti Singer 192		(nover se	
(F3) - (F4) =	" clidar rue		Alon of	-
(74) -	n Parellan 1018		3HJUNIAL CHE	
(5) -	11 yoon 10E		yaagnul	
18 -	1 3TUIS TUE		374151 111	
(17) -	11 graz 186 - aler		hisbrit	
(1)	Sad files Total	l l	Burnewy 1 0	
(6)	- A - A	1	Smillerox	
	0	a farm had		
2-	11 Taghy 128 -	1. fl Sunnay		
22 -	" महोलोक सिंह	mwes ng	\square	
23 - 1	" मिन्द्रा सिंह		198	पंचायत न्यू
(24) -	11 6132 1GE		× ₹0/- 00 37	70.9498
	Č N	Achora		11597
25 -	11 37 Joy THE		ग्राम प्रधान 🔹 हि० 🧐	02/01.5. +
20 -	11 HIFOF IUE		1 (B)	र्भग (चन्नाल)
	11 29ganz Tale	29 applet 3.	t ·	
(27) -	II 2 gail the	0		
28 -	" रुगरान सिर्द ने	M- 2X	Sant	5(0
29)-	1) 212021- dog at	no rite	F-976 A.	milling
	\sim		in a	And and
(30) -	11 69 2139	- Eal2120	the second se	all the start
(31) -	11 Jegetta yello	FEIDT	पुराहे ग्राम	विकीस अधिकारी
~	11 केंद्र दन्त मेराम	of mote	क्षेत्र.भाज	 ि विकास खण्ड प्र
(32) -	11 alex 4 1 a a		जिला.	in fict
(33) -	" प्रभुवन्ति देवल	TOP		-1140
Bu -	1 agi yello	125		
2	- State URICA	Morial		

प्रपत्र-23.1

ग्राम पंचायत आलद्भ

कमांक	\Lambda र्ग्राम सम्हमें इपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	Andred SHI 48 000	2
	- जीमता. पावती दिछी	.020
38-	न्दीमती रामप्यादी देखे	्राभव्यारी नही
39+	192-62 (0)0)	\land
40 -	महन्द्र सिंह नेगी	5050 2 1
41	3मोर्ड् क	3 3 AI G a)
42	Jot unin	20/0109
	•	
-		
	. 1))
	•	
	·	
		7



परियोजना का नामः--

मा० मुख्यमंत्री घोषणा में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में कर्णप्रयाग—नौटी—पैठाणी राज्य मार्ग 34 से मालई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.420 हे0 सिविल वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे0 कुल भूमि 0.450 हे0 सिविल वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

74

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प हता संदयन

केदारनाथ **क्य जीव प्रभाग** प्रभागीयो^ऐवर्म्माधिकारी